संदर्भ: 502/आईआरडीएआई/एचएलटी/एमआईएससी/कोविड-19/2020-21 3 मार्च, 2021
Ref: 502/1RDA1/HLT/MISC/COVID-19/2020-21 3rd March, 2021

प्रति / To,

सभी बीमा कंपनियों के सीईओ / सीएमडी (एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर)
CEOs /CMDs of All Insurance Companies (Except AIC & ECGC)

महोदया/ महोदय,
Dear Madam / Sir,

विषय: बीमाकर्ताओं द्वारा पालिसीधारकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण सुविधा–सेवा
Re: Facilitation by the Insurers for COVID-19 vaccination for the policyholders

1. साठ (60) और अधिक आयु के नागरिकों और 45 और उसके अधिक आयु के रुग्णताग्रस्त व्यक्तियों के लिए टीकाकरण का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1 मार्च, 2021 को आरंभ हो गया है।
   The national programme of vaccination against COVID-19 for citizens of age 60 and above and those of age 45 and above with comorbidities commenced on 1st March, 2021.

2. पात्र नागरिकों के टीकाकरण के लिए दिशा-निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) द्वारा जारी किये गये हैं। टीकाकरण सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दिया जाता है। टीकाकरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर, पूर्वनिर्दिष्ट निजी (स्वास्थ्य-सुविधा केंद्रों) अस्पतालों में भी उपलब्ध है।
   Guidelines have been issued by Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW) for vaccination of eligible citizens. Vaccination is provided free of cost at Government Health Facilities. Vaccination is also available in designated Private Health Facilities, at a rate as specified by the Government of India.

3. सभी बीमाकर्ताओं से अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल हों। उनसे अनुरोध है कि वे पात्र श्रेणी के अपने पालिसीधारकों का, पालिसीधारकों की इच्छा के अनुसार, किसी सरकारी या निजी अस्पतालों में समूह में या व्यक्तिगत रूप से टीकाकरण की सुविधाजनक व्यवस्था करें। सर्वप्रथम, बीमाकर्ता एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से प्रभावी संप्रेषण द्वारा पालिसीधारकों में टीकाकरण के संबंध में जागरूकता का संचार कर सकते हैं। दूसरा, वे पालिसीधारकों को, पूर्व बुकिंग स्लॉट के माध्यम से अग्रिम व्यवस्था कर व्यवस्थित ढंग से उनकी सहायता कर समूह में टीका लेने में सहायता कर सकते हैं। तीसरा, पालिसिधारकों को समय पर टीका के दूसरे स्लॉट के लिए भी स्मरण करा सकते हैं।
   All the Insurers are requested to join this national effort. They are requested to make special arrangements to facilitate eligible category among their policyholders to get vaccinated as a group or individually either at a government facility or private facilities as per the option of the policyholders. First, Insurers may create awareness about vaccination among the policyholders through effective communication via SMS or email. Secondly, they may assist the policyholder as a group to get vaccinated in an orderly manner by assisting them and making

advance arrangement through pre booking slots. Thirdly, the policyholders may be reminded for the 2nd shot of vaccine in time.

4. बीमाकर्ताओं से यह भी अनुरोध है कि वे टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का और यदि उन्होने अपने पालिसीधारकों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है तो उसका पर्याप्त प्रचार करें ताकि पात्र पालिसीधारकों की अधिकतम संख्या कोविड-19 रोग के खिलाफ टीकाकरण प्राप्त कर सके।

The Insurers are also requested to give adequate publicity on the process of registration for vaccination programme and special arrangements made if any to their policyholders so that the maximum number of eligible policyholders may avail the vaccination against COVID-19 disease.

5. इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ बीमाकर्ता के सभी कर्मचारियों और सभी एजेंटों के लिए भी की जा सकती है ताकि उन्हें भविष्य में कोविड-19 के संक्रमण से निरापद किया जा सके।

Similar arrangements may be made for all the employees of the Insurer and also all the agents so that they can be made immune to future COVID-19 infection.

6. इस मामले में की गयी कार्रवाई की जानकारी यथाशीघ्र प्राधिकरण को दी जाए।.

Action taken in the matter may please be intimated to the Authority at the earliest.

(सुरेश माथुर / Suresh Mathur)
कार्यकारी निदेशक / Executive Director